श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-16

A++ NAAC

विकसित भारत अभियान

क्रमांकः एफ-9(86)/ला.ब.शा.रा.सं.वि./विकास/2026/75। दिनांकः 17.08.2026 ३।

कार्यालय आदेश

विषय: त्रिदिवसीय अखिल भारतीय वैदिक संगोष्ठी के आयोजन, प्रस्तावित तिथियों, विशेषज्ञों तथा आयोजन समितियों के नामांकन के संबंध में।

सूचित किया जाता है कि महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के पत्र दिनांक 15.06.2026, 24.07.2026 एवं 12.08.2026 के अंतर्गत विश्वविद्यालय में निम्नलिखित विषय पर त्रिदिवसीय अखिल भारतीय वैदिक संगोष्ठी आयोजित की जानी प्रस्तावित है:

"वैदिक सनातन परम्परा के संरक्षण, संवर्धन, प्रचार एवं प्रसार में धर्मसम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज (1907–1982) का योगदान।"

सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त संगोष्ठी के आयोजन हेतु **वेद विभाग** को संयोजक विभाग तथा **प्रो. देवेन्द्र प्रसाद मिश्र, आचार्य एवं अध्यक्ष, वेद विभाग** को कार्यक्रम संयोजक नामित किया गया है।

1. प्रस्तावित तिथियां एवं स्थल

1. **प्रथम एवं अधिमान्य तिथियां:** 03.11.2026 से 05.11.2026
2. **द्वितीय/वैकल्पिक तिथियां:** 02.02.2027 से 04.02.2027
3. **प्रस्तावित स्थल:** श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।

संगोष्ठी का आयोजन महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित तिथियों पर ही किया जाएगा।

2. प्रस्तावित विशिष्ट विशेषज्ञ/सत्राध्यक्ष

1. प्रो. श्रीकिशोर मिश्र – वेद एवं वैदिक साहित्य
2. प्रो. राममूर्ति चतुर्वेदी – वेद
3. प्रो. उपेन्द्र झा – वेद
4. प्रो. राजेश्वर प्रसाद मिश्र – वैदिक साहित्य
5. प्रो. अनिरुद्ध कुमार पाण्डेय – वैदिक साहित्य
6. प्रो. उपेन्द्र कुमार त्रिपाठी – वेद विभाग

O/C

उपर्युक्त विशेषज्ञों का नामांकन प्रतिष्ठान की अंतिम स्वीकृति तथा उनकी लिखित सहमति के अधीन होगा।

3. समितियों एवं अन्य नामांकनों का अनुमोदन

संगोष्ठी के सुव्यवस्थित आयोजन हेतु निम्नलिखित विवरणों को इस कार्यालय आदेश के अभिन्न भाग के रूप में संलग्न किया जाता है:

- **परिशिष्ट-I:** प्रस्तावित तिथियां एवं आयोजन स्थल।
- **परिशिष्ट-II:** छह विशिष्ट विशेषज्ञों/सत्राध्यक्षों का नामांकन।
- **परिशिष्ट-III:** 54 वैदिक विद्वानों/शोधार्थियों की सूची।
- **परिशिष्ट-IV:** केन्द्रीय आयोजन समिति, अकादमिक एवं विशेषज्ञ नामांकन समिति, वित्त एवं क्रय समिति तथा अन्य कार्यात्मक समितियां।
- **परिशिष्ट-V:** नोडल अधिकारी, कार्यक्रम संयोजक तथा वित्त, लेखा, उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अंतिम प्रतिवेदन हेतु उत्तरदायी अधिकारी।

संलग्न परिशिष्टों में उल्लिखित सभी अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों को आवंटित दायित्वों के अनुसार समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु नामित किया जाता है।

4. संयोजक के दायित्व

कार्यक्रम संयोजक यह सुनिश्चित करेंगे कि:

1. सभी बाह्य विशेषज्ञों एवं विद्वानों की लिखित सहमति तथा पूर्ण विवरण अभिलेख पर उपलब्ध हों;
2. निर्धारित प्रारूपों में समस्त नामांकन एवं दस्तावेज कुलसचिव के माध्यम से प्रतिष्ठान को प्रेषित किए जाएं;
3. प्रतिष्ठान की अंतिम स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही यात्रा, आवास एवं कार्यक्रम-सारिणी को अंतिम रूप दिया जाए;
4. संगोष्ठी से संबंधित सभी समितियों के मध्य समन्वय स्थापित किया जाए; और
5. संगोष्ठी के उपरांत निर्धारित अवधि में प्रतिवेदन, छायाचित्र, प्रेस-कतरनें, शोध-पत्र, लेखापरीक्षित व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाएं।

5. वित्तीय प्रावधान

1. प्रतिष्ठान द्वारा स्वीकृत रु.1,20,000/- की वित्तीय सहायता का उपयोग केवल अनुमोदित मदों एवं सीमाओं के अंतर्गत किया जाएगा।
2. व्यय GFR-2017, विश्वविद्यालय के वित्तीय नियमों तथा निर्धारित क्रय प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
3. आवास अथवा विश्वविद्यालय द्वारा वहन किए जाने वाले किसी अन्य व्यय हेतु वित्त अधिकारी की पूर्व वित्तीय सहमति एवं सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा।
4. प्रतिष्ठान द्वारा वहन किए जाने वाले यात्रा व्यय, मानदेय एवं प्रासंगिक व्यय को

विश्वविद्यालय की निधि से तब तक भुगतान नहीं किया जाएगा, जब तक प्रतिष्ठान द्वारा राशि जारी अथवा प्रतिपूर्ति की स्पष्ट स्वीकृति प्रदान न की जाए।

5. बिना पूर्व वित्तीय सहमति एवं अनुमोदन के कोई अतिरिक्त अथवा अपोषित वित्तीय दायित्व सृजित नहीं किया जाएगा।

सभी संबंधित अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों एवं अनुभागों को निर्देशित किया जाता है कि वे संगोष्ठी के सफल आयोजन हेतु निर्धारित उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

यह कार्यालय आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सहायक कुलसचिव (विकास)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रो. देवेन्द्र प्रसाद मिश्र, आचार्य एवं अध्यक्ष, वेद विभाग।
2. सभी नामित विशेषज्ञ/समिति सदस्य।
3. जनसम्पर्क अधिकारी।
4. सिस्टम एडमिस्ट्रेटर – विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. (कुलपति/ कुलसचिव/वित्ताधिकारी) निजी सचिव।
6. संबंधित अनुभाग।
7. संबंधित पत्रावली।
8. कार्यालय आदेश पत्रावली।

31.05.26

सहायक कुलसचिव (विकास)